आर0 टी0 एस0 - 425/25-26

कार्यालय आगत
पंजीयन संख्या 5143529
दिनांक 02.02.2026

सेवा मे,

श्रीमान जन सूचना अधिकारी /श्रीमान सक्षम अधिकारी
पथ निर्माण विभाग (मुख्य कार्यालय)
प्रथम तल विश्वेश्वरैया भवन, पटना।

श्रीमान जी,

जन सूचना अधिकार अधिनियम सन् 2005 के तहत मुझे नीचे लिखी सूचना की आवश्यकता है जो आपके कार्यालय एवं विभाग से सम्बन्धित है।

1. यह कि आपके विभाग में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, बिहार सरकार/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के आदेशानुसार/निर्देशानुसार स्वंय अपनी (कार्यरत कर्मचारी/अधिकारी) व अपने आश्रितों की वर्षिक ब्यौरे में प्रतिवर्ष गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करता है तो सम्बन्धित विभाग एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा उस कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध क्या–क्या कानूनी कार्यवाही/विभागीय कार्यवाही की जाती है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी द्वारा मांगी गयी जानकारी की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।
आपकी अति कृपा होगी।

अर्पणा कुमारी

दिनांक–27-01-2026

भवदीय,

श्रीमती अर्पणा कुमारी पत्नी श्री नवीन कुमार चौधरी पुत्री श्री धनप्रकाश शर्मा
द्वारा अधिवक्ता
सन्तोष कुमार (एडवोकेट)
कार्यालय पता – मकान नं0–154, ओर्चिड ग्रीन कालोनी, बिजली बम्बा बाईपास, निकट गृहम कालोनी, मेरठ उ0 प्र0 पिन–250002
मो0–7055550550

205/- 10/- 05/02/26

पोस्टल आर्डर नं0– 09G945374

प्रपत्र 'ज'

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई०डी०सं०–425/25–26** 902(E) पटना, दिनांक–6/02/2026

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13/14 एवं 30,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्रीमती अर्पणा कुमारी का सूचना आवेदन दिनांक–27.01.2026 जो इस विभाग में दिनांक–02.02.2026 को प्राप्त हुआ है, संलग्न किया जाता है। **(आई०डी०सं०–425/25–26)।**

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा–**5 (4)** के आलोक में प्रपत्र–'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा–**5 (5)** के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र–'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के आलोक में वांछित सूचना **दो सेट में** अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Komal 6/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक–902(E) दिनांक–6/02/2026

प्रतिलिपि : **अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–13/14,** पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Komal 6/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक–.....

D:\R.T.I. Section-32\Komal-32\R.T.I. FOLDER TILL-2025\praptra.-Ja.docx

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या–निग / सारा–2 (परिवाद) सूचना–06 / 2026 1773 (E) पटना, दिनांक 11/3/26

प्रेषक,

प्रशाखा पदाधिकारी
प्रशाखा–13
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री अभय कुमार
लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– **आवेदिका श्रीमती अर्पणा कुमारी के द्वारा याचित सूचना के संबंध में (आई०डी०सं०–425 / 25–26)।**

प्रसंग :– आपका पत्रांक–लो०सू०को० / आई०डी०सं०–425 / 25–26–902 (ई०) दिनांक 06.02.2026 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आवेदिका श्रीमती अर्पणा कुमारी द्वारा याचित सूचना निम्नवत है:–

मांगी गई सूचना	सूचना प्रतिवेदन
आपके विभाग में कार्यरत कोई भी अधिकारी / कर्मचारी, बिहार सरकार / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के आदेशानुसार / निर्देशानुसार स्वंय अपनी (कर्मचारी / अधिकारी) व अपने आश्रितों की वार्षिक ब्यौरे में प्रतिवर्ष गलत एवं झूठे तथ्यों के आधार पर जानकारी प्रस्तुत करता है तो संबंधित विभाग एवं बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन द्वारा उस कर्मचारी / अधिकारी के बिरूद्ध क्या–क्या कानुनी कार्यवाही / विभागीय कार्यवाही की जाती है।	किसी पदाधिकारी / कर्मचारी के द्वारा गलत सम्पत्ति विवरणी समर्पित करने एवं इसका संज्ञान होने के पश्चात सक्षम प्राधिकार द्वारा संबंधित पदाधिकारी / कर्मी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19 के उल्लंघन के आरोप के लिए अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है (बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 19 की छायाप्रति संलग्न)।

अनु– यथोक्त।

विश्वासभाजन

13.3.26

प्रशाखा पदाधिकारी–13
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(a) Lend or borrow or deposit money as a principal or agent, to or with any person or firm or private limited company within the local limits of his authority or with whom he is likely to have official dealings or otherwise place himself under pecuniary obligation to such person or firm or private limited company; or

Note.—A 'pecuniary obligation' means not only obligation arising out of a cash transaction but also the acceptance without consideration of any service or facility other than trifling value:

(b) Lend money to any person at interest or in manner whereby return in money or kind is paid :

Provided that a Government servant may, give to, accept from, a relative or a personal friend, a purely temporary loan of a small amount free of interest, operate a credit account with a bonafide tradesman or make an advance of pay to his private employee :

Provided further that nothing in this sub-rule shall apply in respect of any transaction entered into by a Government servant with the previous sanction of the Government.

(ii) No Government servant shall permit any member of his family except with the previous sanction of the Government to enter into any transaction of the nature referred to in the foregoing sub-rule, and where a Government servant is unable to prevent a member of his family from entering into any such transaction, he shall make a report to that effect to the Government.

(6) When a Government servant is appointed or transferred to a post of such a nature as to involve him in the breach of any of the provisions of sub-rule (4) or sub-rule (5) he shall forthwith report the circumstances to the prescribed authority and shall thereafter act in accordance with such order as may be passed by such authority.

18. Insolvency and habitual indebtedness.—A Government servant shall so manage his private affairs as to avoid habitual indebtedness or insolvency. A Government servant, who becomes the subject or a legal proceeding for the recovery of any debt due from him or for insolvency, shall forthwith report the full facts to the Government.

Note.—The burden of proving that indebtedness or insolvency is the result of circumstances which, with the exercise of ordinary diligence, he could not have foreseen or even of which he has no control, and has not proceeded from extravagant or dissipated habit, shall be upon him.

19. Movable, immovable and valuable property.—(1) Every Government servant shall on his first appointment, to any service or post and thereafter at the interval of every twelve months [1][the group of words, i.e. after 31st December till 28/29th February] submit to the prescribed authority return of his assets and liabilities in such form as may be prescribed by the Government giving full particulars regarding—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति या फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को, जो उसकी प्राधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर पड़ती हो या जिसके साथ उस सरकारी सेवक का पदीय कारबार चलने की सम्भावना हों, न उधार देगा, न उससे लेगा, न उसमें कोई धन मूल या ब्याज के रूप में निक्षिप्त करेगा, और न अन्यथा ऐसे व्यक्ति, फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का कोई धन-सम्बन्धी आभार अपने ऊपर लेगा:

टिप्पणी- 'क' यहां "धन सम्बन्धी आभार" से अभिप्रेत है न केवल नकदी लेन-देन से उत्पन्न आभार, बल्कि इसमें सेवा या सुविधा के रूप में किसी प्रतिफल के बिना ऐसी कोई वस्तु लेना भी है, जो तुच्छ मूल्य की न हो।

(ख) किसी व्यक्ति को कोई धन ब्याज पर या इस रीति से उधार न देगा, जिसके अनुसार उस उधार या नकदी या जिनका प्रतिफल लिया या चुकाया जाता है।

परन्तु कोई सरकारी सेवक अपने किसी सम्बन्धी या निजी मित्र को छोटी रकम का नितांत अस्थायी ढंग का ब्याज-रहित उधार दे सकेगा या उससे ले सकेगा अथवा किसी वास्तविक व्यापारी के साथ उधारी खाता चला सकेगा, या अपने वैयक्तिक कर्मचारी को अग्रिम वेतन दे सकेगा:

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम की कोई बात ऐसे किसी संव्यवहार के सम्बन्ध में लागू न होगी जो सरकारी सेवक ने सरकार की पूर्व मंजूरी से किया हो।

(ii) कोई सरकारी सेवक, सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अपने परिवार के किसी सदस्य को पूर्वगामी उप-नियम में निर्दिष्ट प्रकार का कोई संव्यवहार करने की अनुज्ञा न देगा और यदि कोई सरकारी सेवक अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसा संव्यवहार करने से रोकने में असमर्थ हो जाए तो वह इस बात की सूचना सरकार को देगा।

(6) जब कोई सरकारी सेवक किसी ऐसे पद पर नियुक्त या अन्तरित किया जाए, जिससे उसके द्वारा उप-नियम (4) या (5) के उपबन्ध भंग हो सकते हों तब, वह इस स्थिति की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को अविलम्ब करेगा और आगे उन आदेशों के अनुसार काम करेगा जो ऐसा प्राधिकारी उसे दे।

18. दिवाला और आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी)- कोई सरकारी सेवक अपना निजी कामकाज इस तरह चलाएगा कि उसके सामने आभ्यासिक ऋणग्रस्तता (कर्जखोरी) या दिवाले की स्थिति न आने पाये। यदि किसी सरकारी सेवक पर लिए गए किसी ऋण की वसूली या दिवाले के लिए कोई विधिक कार्यवाही चलाई जाए, तो वह अविलम्ब इस सम्बन्ध में पूरी बातें सरकार को सूचित करेगा।

टिप्पणी-यह सिद्ध करने का भार ऐसे सरकारी सेवक पर होगा कि ऋणग्रस्तता या दिवाला ऐसी परिस्थिति का परिणाम है जिसे वह अपनी सामान्य जागरूकता के बावजूद पहले ही लक्षित नही कर सकता था, या जिस पर उसका कोई वश नहीं था, तथा जिसका कारण उसकी फिजुलखर्ची या मौज उड़ाने की आदत नहीं है।

19. चल, अचल और मूल्यवान सम्पत्ति-(1) हरेक सरकारी सेवक, किसी सेवा में या पद पर अपनी प्रथम नियुक्ति के समय और उसके बाद, हरेक बारह मासों के अन्तराल पर, [1][अर्थात 31 दिसम्बर के बाद 28/29 फरवरी तक] अपनी अस्तियों एवं दायित्वों की विवरणी ऐसे फारम में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाय, विहित प्राधिकारी को देगा जिसमें निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में पूरा ब्योरा दिया रहेगा-

(a) immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(b) shares, debentures, cumulative time deposits and including bank deposits owned, acquired or inherited by him or held by him, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person;

(c) other movable property inherited by him or similarly owned, acquired or held by him;

(d) debts and other liabilities, if any, incurred by him directly or indirectly.

Note I.—Unless directed otherwise, sub-rule (1) shall not ordinarily apply to class IV servants.

Note II.—In all returns, the values of items of movable property worth less than [1][Rs.30,000] may be added and shown as a lump sum. The value of articles of daily use such as clothes, utensils, crockery, books, etc., need not be included in such return.

Note III.—Every Government servant who is in service on the date of the commencement of these Rules shall submit a return under this sub-rule on or before such date as may be specified by the Government after such commencement:

Provided that the previous sanction of the prescribed authority shall be obtained by the Government servant if any such transaction is—

(a) with person having official dealings with Government servant, or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(2) No Government servant shall, except with the previous knowledge of the prescribed authority acquire or dispose of any immovable property by lease, mortgage, purchase-sale, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family.

[1][(3) Every Government servant shall intimate the Government in respect of each transaction, whose value exceeds two months basic pay plus grade pay of the Government servant within a month of the completion of such transaction:

Provided that, the previous sanction of the Government shall be obtained if any such transaction is to be done with a person having official dealings with a Government servant.]

(a) with a person having official dealings with the Government servant, or

(b) otherwise than through a regular or reputed dealer.

(4) The Government or the prescribed authority may, at any time, by general or special order, requiring a Government servant to submit within a period specified in the order, a full and complete statement of such movable or immovable property held or acquired by him or on his behalf or by any member of his family as may be specified in the order and such statement shall, if so required by the Government or by the prescribed authority, include details of the means by which, or the source [illegible] such property was acquired.

(क) ऐसी स्थावर सम्पत्ति, जो उसकी अपनी हो या उसने अर्जित की हो या विरासत में पायी हो अथवा नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, पट्टे या बन्धक पर, उसके द्वारा धारित हो।

(ख) ऐसे शेयर, ऋणपत्र (डिबेंचर) संचयी आवधिक निक्षेप-पत्र और बैंक-निक्षेप सहित नकद रूपए, जो उसके अपने हों या उसने अर्जित किया हो या विरासत में पाए हो अथवा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से अपने द्वारा धारित हों।

(ग) अन्य चल सम्पत्ति जो उसे विरासत में मिली या इसी प्रकार स्वर्जित या स्वधारित हो।

(घ) प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उसे उपगत ऋण और दायित्व, यदि कोई हों।

टिप्पणी-(1) जबतक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उप-नियम (1) सामान्यतः श्रेणी 4 के सेवकों, पर लागू नहीं होगा।

टिप्पणी-(2) सभी विवरणियों में [1][30,000 रु०] से कम मूल्य की चल सम्पत्ति की मदों का मूल्य जोड़ कर एक मुश्त दिखाया जाए। ऐसी विवरणी में कपड़े, बर्त्तन-बासन, पुस्तक आदि जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का मूल्य शामिल करना आवश्यक नहीं है।

टिप्पणी-(3) हरेक सरकारी सेवक, जो इस नियमावली के प्रारम्भ की तारीख को सेवा में हो, इस उप-नियम के अधीन विवरणी ऐसी तारीख तक प्रस्तुत करेगा जो ऐसे प्रारम्भ के बाद सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परन्तु यदि ऐसा कोई संव्यवहार-

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो, या

(ख) किसी नियमित या ख्याति प्राप्त व्यापारी के जरिए न करके दूसरी तरह किया जाए, तो इसके लिए सरकारी सेवक को विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

(2) कोई सरकारी सेवक सरकार की पूर्व जानकारी के बिना, किसी अचल सम्पत्ति का अर्जन या निबटाव अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टे, बन्धक खरीद, बिक्री या प्रीतिदान के द्वारा या अन्यथा न करेगा।

[1][(3) प्रत्येक सरकारी सेवक, सभी ऐसे संव्यवहार के संबंध में, जिसका मूल्य सरकारी सेवक के दो माहों के मूल वेतन जोड़ ग्रेड-वेतन से अधिक हो, ऐसे संव्यवहार के पूर्ण होने के एक माह के अन्दर सरकार को जानकारी देगा;

परन्तु यह कि यदि ऐसा कोई संव्यवहार किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो जिसका सरकारी सेवक के साथ पदीय कारबार चलता हो तो सरकार की पूर्व मंजूरी ली जायेगी।]

(4) सरकार या विहित प्राधिकारी, किसी भी समय सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने या अपनी ओर से या अपने परिवार के किसी सदस्य द्वारा धारित या अर्जित चल या अचल सम्पति का पूर्ण और सर्वांगीण विवरण प्रस्तुत करे जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, और यदि सरकार या विहित प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे, तो इस विवरण में उन साधनों या स्त्रोतों का भी ब्योरा रहेगा, जिनसे ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई

(5) The Government may exempt any category of Government servants belonging to Class III or Class IV from any of the provisions of this Rule except sub-rule (4).

Explanation.—For the purpose of this sub-rule the expression "movable property" includes—

(a) jewellery, insurance policies, the annual premium of which exceeds [1][Rs. 30,000], shares, securities and debentures;

(b) loans advanced by or to such Government servant whether secured or not;

(c) motor cars, motor cycles, horses or any other means of conveyance; and

(d) refrigerator, radios and radiograms.

(6) A Government servant found to be in possession of pecuniary resources or property disproportionate to his known sources of income for which he cannot satisfactorily account, shall unless the contrary is proved, be presumed to have been guilty of grave misconduct in the discharge of his official duty for which he will be liable for criminal action besides departmental proceeding.

(7) The Government or any authority especially empowered by it in this behalf may, by an order in writing, require a Government servant to afford facilities for inspection and assessment of the value of any lands, buildings or any other immovable property held or acquired by him or by any member of his family as may be specified in that order and failure to comply with the order shall be deemed to be grave official misconduct on the part of the Government servant concerned.

[2][(8) The Government or the prescribed authority may stop the salary of the Government Servant not submitting the required return on time till he/she submits the return. Not submitting the return on time will be construed as grave misconduct in discharge of his/her duty for which he/she will be liable for departmental proceedings.]

20. Restriction in relation to acquisition and disposal of immovable property outside India and transaction with foreigners, etc.—Notwithstanding any thing contained in sub-rule (2) of Rule 19, no Government servant shall, except with the previous sanction of the prescribed authority—

(a) acquire by purchase, mortgage, lease, gift or otherwise, either in his own name or in the name of any member of his family, any immovable property situate outside India;

(b) dispose of, by sale, mortgage, gift, or otherwise, or grant any lease in respect of any immovable property situate outside India which was acquired or is held by him either in his own name or in the name of any member of his family;

(c) enter into any transaction with any foreigner, foreign Government, foreign organisation or concern-

1. Subs. by Notifn. No. 3/M-75/2008-3468, dated 16.11.2011

(5) सरकार उप-नियम (4) को छोड़कर इस नियम के किसी उपबन्ध से श्रेणी-3 या श्रेणी-4 के सरकारी सेवकों की किसी कोटि को विमुक्त कर सकेगी।

स्पष्टीकरण-इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ ''चल सम्पत्ति'' के अन्तर्गत निम्न चीजें आती हैं:-

(क) जेवर, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम [1][30,000 रु०] से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और ऋण-पत्र (डिबेंचर);

(ख) ऐसे सरकारी सेवक द्वारा दिए गए या लिए गए ऋण, चाहे उनकी अदायगी हुई हो या न हुई हो;

(ग) मोटर गाड़ियां, मोटर साइकिलें, घोड़ें, या सवारी का कोई अन्य साधन; और

(घ) रेफ्रिजेरेटर, रेडियो और रेडियोग्राम।

(6) यदि किसी सरकारी सेवक के पास ऐसे आर्थिक साधन-स्त्रोत या ऐसी सम्पत्ति पाई जाए जो उसके ज्ञात आय-स्त्रोतों के अनुपात से अधिक हो और जिसका वह संतोषजनक हिसाब न दे सके, तो जब तक प्रतिकूल सिद्ध न किया जाए तब तक यह माना जाएगा कि वह अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गंभीर कदाचार का दोषी है, जिसके लिए उस पर विभागीय कार्यवाही के साथ-साथ दाण्डिक वाद भी चलाया जा सकेगा।

(7) सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से शक्ति-प्रदत्त कोई प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा, किसी सरकारी सेवक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने अथवा अपने परिवार द्वारा धारित या अर्जित किसी भूमि, भवन या किसी अन्य अचल सम्पत्ति के निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए सुविधाएँ दे, जैसा कि उस आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और ऐसे आदेश का अनुपालन नहीं करना सम्बद्ध सरकारी सेवक का गम्भीर पदीय कदाचार समझा जाएगा।

[2][(8) वांछित विवरणी समय पर नहीं समर्पित करने वाले सरकारी सेवक को वेतन भुगतान, सरकार या विहित प्राधिकारी विवरणी समर्पित करने तक रोक सकेंगे। समय पर विवरणी नहीं समर्पित किया जाना, अपने सरकारी कर्त्तव्य पालन में गम्भीर कदाचार माना जाएगा जिसके लिए वह विभागीय कार्यवाही का दायी होगा।

20. भारत से बाहर अचल सम्पत्ति के अर्जन और निबटाव तथा विदेशियों आदि के साथ संव्यवहार आदि के बारे में प्रतिबन्ध-नियम 19 के उप-नियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी कोई सरकारी सेवक, विहित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा:-

(क) अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से भारत के बाहर कोई अचल सम्पत्ति खरीद, बन्धक, पट्टे या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अर्जित करना;

(ख) भारत से बाहर अवस्थित किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो उसके द्वारा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से अर्जित की गई थी या धारित है, बिक्री, बन्धक या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा निबटाना या पट्टे पर देना।

(ग) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी व्यक्ति, विदेशी सरकार, विदेशी संगठन या प्रतिष्ठान के साथ किसी संव्यवहार का करार करना-

(i) खरीद बन्धक, पट्टा या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा अपने नाम से या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से किसी अचल सम्पत्ति को अर्जित करने के लिए।

(ii) बिक्री, बन्धक या प्रीतिदान द्वारा या अन्यथा किसी ऐसी अचल सम्पत्ति को जो अपने नाम या अपने परिवार के, किसी सदस्य के नाम से उसने अर्जित की थी उसके द्वारा धारित है निबटाने के लिए या पट्टे पर देने के लिए।

1. बिहार संशोधन नि० 2011, अधिसूचना सं० 3468 दिनांक 16 नवम्बर 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

DC Kamal (13.03.2026)

प्रपत्र 'घ'

(सूचना उपलब्ध कराना)

(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्याः–लो.सू.को./आई०डी०सं०–425/25–26 1865(E) पटना, दिनांक– 13/3/26

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट

सेवा में,

श्रीमती अर्पणा कुमारी,
पति–नवीन कुमार चौधरी,
मकान नं०–154, ओर्चिड ग्रीन कालोनी,
बिजली बम्बा बाईपास, निकट गृहम कॉलोनी,
जिला–मेरठ, उत्तर प्रदेश, पिन–250002,
मो०–7055550550

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक–27.01.2026 जो इस विभाग में दिनांक–02.02.2026, को प्राप्त हुआ है, **(आई०डी०सं०–425/25–26)** में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :–

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13**, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1773 (ई)अनु० दिनांक–11.03.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

Kamal 13/3/26

लोक सूचना पदाधिकारी
पटना, दिनांक– 13/3/26

ज्ञापांक– 1865 (E)

प्रतिलिपिः प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–13, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kamal 13/3/26

लोक सूचना पदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
दिनांक– 1

D:\R T I Section 23\Kamal 23\R T I FOLDER TILL 2025\prapatra Gha.docx